न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –25/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
जवराराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी गोदारा की ढाणी तनकिनसरिया तहसील परबतसर जिला नागौर राज0		1. क्षेत्रिय वन अधिकारी, परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर 2. सहायक वन अधिकारी, परबतसर तहसील परबतसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट् की ओर से वकील श्री अर्जुनदास एडवोकेट।
2. रेस्पोडेण्ट् की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 31-5-2019

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत सहायक वन संरक्षक, परबतसर द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2015 सरकार बनाम जवरीराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.04.2019 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना निर्णय अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया है जिसकी जानकारी अभी क्षेत्रिय वन अधिकारी के कर्मचारियों ने मौके पर आकर कब्जा हटाने का अपीलांट को कहा तो अपीलांट दिनांक 27.03.2019 को क्षेत्रीय वन सरंक्षक के न्यायालय में जाकर नकले मांगी जो मिलने पर दिनांक 28.03.2019 को शीतलाष्टमी का सार्वजनिक अवकाश, शनिवार व रविवार का होने से दिनांक 02.04.2019 को यह अपील पेश की है जिससे दिनांक 13.01.2016 से दिनांक 27.03.2019 तक का समय कण्डोन करते हुए अपील अन्दर गियाद शुमार की जाना न्यायोचित होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि क्षेत्रिय वन अधिकारी परबतसर ने एक वाद सहायक वन सरंक्षक परबतसर के समक्ष पेश किया कि अपीलांट प्रतिवादी जंवरीलाल पुत्र भुराराम जाट निवासी गोदारों की ढाणी तनकिनसरिया तहसील परबतसर के खसरा नम्बर 351 पुराना नया 365 में रकबा 0.0336 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। वादी ने अपने पक्ष में मौका पंचनामा, जमाबंदी नकल, नजरी नक्शा एंव वन भूमि घोषित करने की विज्ञप्ति की प्रति प्रेषित की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सहायक वन सरंक्षक परबतसर ने राज. भू

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट जंवरीराम दिनांक 05.11.2015 को उपस्थित होकर बताया कि अपीलांट का आबादी क्षेत्र में पुराना बडेरों का एक कमरा, लेट्रीन, बाथरूम व चारो ओर बाउण्ड्री बनी हुई है नया कुछ नहीं बनया है पुराना रिकॉर्ड ढूंढ कर पेश कर दूंगा, आगामी पेशी दिनांक 03.12.2015 को दी गई जिस पर अपीलांट बीमार होने से पेशी के दो दिन बाद जाकर सहायक वन अधिकारी के यहां पूछा तो कहा कि वापिस नोटिस आवे तब आना तो अपीलांट वापिस चला गया फिर कोई नोटिस नहीं आया कुछ दिनों पश्चात् अपीलांट ने एक वाद सिविल न्यायालय परबतसर में आबादी क्षेत्र में पुराना कगरा, शौचालय, स्नानघर तथा बाउण्ड्री होना मानकर स्थगन आदेश प्राप्त किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट को प्रतिवादी बनाया गया था जो विचाराधीन है। अभी 3–4 दिन पूर्व क्षेत्रीय वन अधिकारी परतबसर ने मौके पर आकर कहा कि तुम जवराराम के विरूद्ध सहायक वन अधिकारी परबतसर ने निर्णय कर दिया है अब हम बेदखल करेगें, जिस पर यह अपील पेश की है।

अदालत मातहत का निर्णय गलत, गैर कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से काबिल अपास्त किये जाने के है। अदालत मातहत ने अपीलांट को बिना सुने, सुनवाई का पूरा अवसर दिये बिना इकतरफा में निर्णय पारित करने में भारी भूल की है अदालत मातहत ने अपने आदेश दिनांक 03.12.2015 में स्पष्ट आदेश पारित किया है कि अपीलांट को दिनांक 29.12.2015 को पेशी को उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया जाना उचित होगा, का आदेश पारित किया था फिर भी बिना नोटिस जारी किये ही निर्णय पारित करने में भारी भूल की है तथा अपने निर्णय लिखने के पश्चात् निर्णय के बीच में दो लाईने लिखी है जिससे साफ जाहिर है कि निर्णय गलत रूप से एकपक्षीय किया है तथा अपीलांट अदालत मातहत में दिनांक 03.12.2015 के पश्चात् दिनांक 05.12.2015 को गया तब भी नोटिस पुनः आने का कहा जिससे निश्चित था तथा कुछ दिनों तक नोटिस नहीं आया तो फिर सिविल न्यायालय परबतसर में वाद दायर किया जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अदालत मातहत में वादी ने जो मौका पंचनागा व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वो एकपक्षीय बनाया गया है ऐसा नक्शा बनाते समय तथा मौका देखते समय या उससे पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई जबकि न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पक्षकार की पीठ पीछे नहीं करना चाहिए, जबकि स्वंय अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.12.2015 के आदेश में पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है एंव अपीलांट को दो दिन पश्चात् तारीख न बताकर नोटिस आने का कहा था जिससे अपीलांट नोटिस का इंतजार कर रहा था इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने सारी कार्यवाही अपीलांट की पीठ पीछे की है जो काबिल अपास्त किये जाने के है। अदालत मातहत ने वादी द्वारा जो नक्शा मौका आदि पेश किया है के इकतरफा है जबकि अपीलांट ने सिविल न्यायालय में वाद दायर कर गौका कगिश्नर से गौका दोनो पक्षों को सूचना देकर मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में नक्शा बनाया है जिसकी नकल पेश है। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग की भूमि पर जे.सी.बी. से बडी–बडी खन्दक दिलाई हुई है बाद में रास्ता है तथा रास्ते के पश्चात बाद में आबादी में अपीलांट का पुराना कमरा, शौचालय, स्नानघर बनाये हुए है जिसे जाहिरा तौर पर यह साबित है कि विवादग्रस्त भूमि आबादी में है वन विभाग में नहीं है फिर भी वन विभाग अपनी मान कर मकान तोडने पर गलत रूप से आमादा है जिसे रोकने हेतु अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अदालत मातहत ने अपने निर्णय में लिखा है कि अपीलांट दिनांक 03.12.2015 व दिनांक 29.12.2015 को अनुपस्थित रहने से इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये है जबकि दिनांक 03.12.2015 को पुनः अपीलांट को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये थे जो दिनांक 29.12.2015 की पेशी के नोटिस अपीलांट को न तो जारी हुए न ही

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

तामिल हुए, ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपने आप में स्वतः अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने अपने पुराने कमरा, शौचालय होना तथा आबादी में होना माना है ऐसी सुरत में अधिनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य बनता है कि न्याय हित में राजस्व अधिकारियों से पूर्ण रूप से नाप चोप कर पता करने कि क्या अपीलांट की कब्जे की भूमि कमरा, शौचालय जो पुराने बने है आबादी में है या वन विभाग में ऐसा विवाद होता, इसे नाप कर स्पष्ट करना चाहिए था। बिना किसी ठोस प्रमाण के वन विभाग की भूमि कम होना मानने में भारी भूल की है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु राजस्व अधिकारियों से पक्षकारान के समक्ष नाप चोप करवा कर पूर्ण रूप से पुष्टि करने के पश्चात् ही उचित कार्यवाही करने के लिए पुनः प्रेषित यानी रिमाण्ड किया जाना पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा, का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय जैर अपील दिनांक 13.01.2015 को अपास्त किया जावे तथा इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को पत्रावली प्रतिप्रेषित की जावे कि वादग्रस्त कमरा, शौचालय, स्नानघर व बाउण्डरी, मकान आदि वास्तव में वन विभाग क्षेत्र में आता है या आबादी क्षेत्र में आता है, इस बिन्दु को दोनो पक्षो के बीच रूबरू उच्च राजस्व अधिकारियों से नपवा कर या सेटलमेंट के अनुभवी व्यक्तियों से नपवा कर पूर्ण रूप से सही निष्कर्ष हेतु भेजी जाने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिकम्रण किया है, अपीलान्ट ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मालिकाना हक के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील सही होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौका पंचनामा दिनांक 25.10.2015 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का बाड़ा, पक्की दीवार, कमरा मय बरामदा व शौचलय एवं स्नानघर बनाकर 0.0336 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अपीलान्ट द्वारा अपना पुराना कब्जा होने के संबंध में अथवा वादग्रस्त भूमि पर मालिकाना हक होने के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्रांक–562 दिनांक 26.10.2015 के अनुसार गजट नोटिफिकेशन में 172.10 बीघा का रक्षित वन के रूप में नोटिफिकेशन हुआ जबकि 193.04 बीघा भूमि 1970 में वन विभाग के नाम से अमल दरामद हो चुकी है। उक्त अधिशेष भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना बताया गया है। अधिशेष भूमि पर आबादी बस चुकी हो तथा वन विभाग के उपयोग व उपभोग की नहीं रही हो तो ऐसी स्थिति में समग्र जांच कर अधिशेष भूमि आबादी में दिये जाने के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही करने के क्षेत्रीय वन अधिकारी परबतसर एवं उपखण्ड अधिकारी परबतसर को निर्देश दिए जाते है। उक्त निर्णय की प्रति क्षेत्रीय वन अधिकारी परबतसर एवं उपखण्ड अधिकारी परबतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner